ायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 114 / 2020 (2020 / 00350)

ब्दुल रज्जाक पुत्र श्री अब्दुल रहमान आयु 55 साल जाति मुसलमान निवासी ग्राम जूनिया हसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान हाल मुकाम 269 जूनिया हाउस पुलिस लाईन कोटा जस्थान बहैसियत मुखत्यारआम अब्दुल रहमान आयु 100 वर्ष पुत्र जमाल खां जाति सलमान निवासी जूनियॉ हाउस बजरंग नगर पुलिस लाईन कोटा राजस्थान --प्रार्थी

बनाम

.अब्दुल गफ्फार पुत्र अब्दुल मन्नान जाति मुसलमान
.जब्बार पुत्र अब्दुल मन्नान जाति मुसलमान निवासीगण जूनियॉ तहसील केकड़ी अजमेर
.लाली पत्नि जगदीश जाति धाकड़ निवासी जूनियां तहसील केकड़ी जिला अजमेर
.मासुम पुत्री जमाल खॉ
.हेमना पुत्री जमाल खॉ
.हफीज मोहम्मद पुत्र जमाल खॉ
7.चांद मोहम्मद पुत्र जमाल खॉ
8.अब्दुल अजीज पुत्र जमाल खॉ समस्त जाति मुसलमान निवासीगण जूनियां तहसील केकड़ी जिला अजमेर ।
9.तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर ।
10.उप पंजीयक केकड़ी जिला अजमेर --अप्रार्थीगण

उपस्थितः- श्री हनुमान प्रसाद शर्मा- वकील प्रार्थीगण
श्री इमदाद अली -वकील अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

आदेश

दिनांक 29.9.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने वाद पत्र अंतर्गत धारा 53,92ए,188,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है उसी के साथ यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 का प्रस्तुत किया है कि उसके पिता अब्दुल रहमान पुत्र जमाल खां जाति मुसलमान निवासी जूनिया की उम्र अत्यधिक होने से उन्होने मुझे मुख्तार नियुक्त कर रखा हैं निम्नलिखित वर्णित आराजीयात वाकै ग्राम जूनियां व केसरपुरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर मे स्थित है,ग्राम जूनिया की जमाबंदी संवत् 2073-76 के खाता संख्या नया-पुराना 16-12 कुल किता 18 रकबा 15.61 हैक्टर मे प्रार्थी का 1/2 हिस्सा,तथा अप्रार्थीगण संख्या 1च 2 का 1/2 हिस्सा है। इसी तरह ग्राम केसरपुरा की जमाबंदी संवत् 2071-74 के खाता संख्या नया-पुराना 5-6 किता 04 रकबा 3.41 आराजीयात मे प्रार्थी का 1/12 हिस्सा है तथा अप्रार्थीगण संख्या 10 2 का 1/2 हिस्सा है। अप्रार्थीगण संख्या 03 का 1/6 हिस्सा है। अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 का 1/6 हिस्सा है। लेकिन मुस्लिम विधि के अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 04 व 05 का अपने पिता के हिस्से मे 1/4 हिस्सा होता है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 का 1/8 हिस्सा ही होना चाहिए जिसे दुरूस्त किया जाना प्रार्थनीय है। तथा अप्रार्थी संख्या 06 का 1/12 हिस्सा है। उक्त आरजीयात मे प्रार्थी व एक ... का हिस्सा अप्रार्थीगण संख्या 04 व 05 के उक्त 1/6 हिस्से को 1/8 ... करते हुए उक्त आराजीयात मे प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 06 लगा... न्यायोचित एवं आवश्यक है। उपरोक्त हिस्सेवार ... उण्डस के अनुसार बंटवारा किया जाकर राजस्व रेकार्ड जमाबंदी व ... मे अमल दरामद कर अलग अलग माल गुजारी कायम करते हुए नाप चौप कर ... र्थी को संभलायी जावे। अप्रार्थीगण संख्या 09 को आदेश प्रदान किया जावे कि जब तक विधिक रूप से बंटवारा नहीं हो जाता है उक्त संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात को विक्रय, बेचान, बक्षीस नहीं करे यानि किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे। प्रकरण श्रवणाधिकार क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:15:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScan

ामी तारीख पेशी तक राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाकर र्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा उनके विरूद्ध पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा देश के विरूद्ध अपील न्यायालय राजव अपील प्राधिकारी अजमेर के प्रस्तुत की,माननीय ोलीय न्यायालय द्वारा 30 दिवस की अवधि पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर ायपक्षकार को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण को गुणावगुण निर्णित करने के निर्देश प्रदान किये है। अप्रार्थीगण संख्या 1,2, तथा 4 से 05 ,6,7,8 की र से जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्राथी संख्या 03 की और से जवाब प्रस्तुत किया गया।

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब ते बता या कि अप्रार्थी संख्या 04 व के हिस्सा कम करने बाबत कथन अस्वीकार है तथा अप्रार्थी संख्या 07 व 08 ने अपना 6 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 03 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बेचान कर दिया है। अतः ार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

जवाब प्राप्त होने पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील ार्थी ने अपनी बहस जारी रखते हुए प्रार्थना पत्र मे अंकित कथनो को दौहराया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात को विक्रय,हस्तान्तरण करने पर उतारू हो रहे है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक उन्हे विक्रय हस्तान्तरण नहीं करने हेतु पाबंद किया जावे। अपने कथन के समर्थन मे आर0आर0डी01992 पेज 206 राधेश्याम बनाम लक्ष्मीनारायण व अन्य ,आर0बी0जे0 129 नोजी देवी बनाम प्रेमसिंह पेज 129,आर0बी0 जे0 (27)2020 प्रेम बनाम जयपाल पेज 83 प्रस्तुत किये। प्रस्तुत उद्दरणो का ससम्मान अध्ययन किया गयां ।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने वितर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार है तथा रिकार्डेड खातेदार को विधिअनुसार सहखातेदारी की भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक इंच पर सहखातेदार का बराबर का हिस्सा है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा से अन्य खातेदार को पाबंद नहीं किया जा सकता है। अपने कथन के समर्थन न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0डी0 पेज 88 दलीप बनाम अजय व अन्य प्रस्तुत कियां। जिसका ससम्मान अवलोकन किया गया।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रकरण मे न्यायालय को अभी यह देखना है वि प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार है अथवा नहीं ? प्रथम दृष्टया केस,सुविधा क संतुलन,अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु अपने पक्ष मे साबित कर पा रहे है अथवा नहीं ? हस्तग प्रकरण विवादित आराजी वाकै ग्राम जूनिया की जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता संख्य नया–पुराना 16–12 किता 18 रकबा 15.6100 है0,आराजी वाकै ग्राम केसरपुरा की जमाबं संवत् 2071–74 के खाता संख्या नया–पुराना 5–6 कुल किता 04 रकबा 3.4100 है0 प्रार्थी अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। विवादित भूमि संबंध मे आगे अं लिटिगेशन नहीं बढ़े। इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता कि वे प्रार्थना पत्र मे वर्णित संयुक्त खातेदारी की आराजीयात को विक्रय, हस्तान्तरण नहीं व न ही प्रार्थी के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न करे। एवं न ही माईनिग हेतु खनन कार्य क यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का निर्धारण नहीं करता है। हक अधिकार का प्रश्न बाद शहा मूल वाद से तय होगा। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:15:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner